आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

मीना देवी, पति-पोखन राम, ग्राम-कूद, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-कटकमदाग, ग्राम-कूद-2, थाना नं0-123, खाता संख्या-71, प्लॉट संख्या-1046 रकवा-0.03 एकड़ भूमि कांति देवी, पति-छोटन राम, ग्राम-बरही बाराटांड, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 46/2018 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, कटकमदाग से की गई।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता कांति देवी एवं विक्रेता मीना देवी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 21डी0, 41डी0 एवं 20डी0 भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की है। भूमि आवेदिका को सास के नाम से खरीदगी केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 130/I पर टकनी देवी पति धोतल राम के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता मीना देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/253825 दिनांक 19.06.2019 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC 2018/1697307 दिनांक 06.02.2019 और क्रेता कांति देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1336058 दिनांक

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प कार्रवाई क टिप्पणी तारी
1	2	3
	18.09.2017 एवं अंचल अधिकारी, बरही, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/1265843 दिनांक-20.09.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, कटकमदाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, ग्राम-कूद-2, थाना नं0-123, खाता संख्या-71, प्लॉट संख्या-1046 रकवा-0.03 एकड़ भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 31/10/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 31/10/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	